

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2011—आषाढ 10, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2011

क्र. एफ-3-10-2011-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 13 क की उपधारा (1) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्द्वारा जबलपुर संभाग की संभागीय सतर्कता समिति में श्री आर. जी. अग्रवाल को अध्यक्ष एवं श्रीमती जमुना यादव को सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करती है.

No. F 3-10-2011-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhiniyam, 1981, the State Government on the recommendation of the Lokayukta, hereby appoint Shri R.G.Agrawal as Chairman and Smt Jamuna Yadav as member in the Divisional Vigilance Committee, Jabalpur Division, for the Period of three years with effect from the date of Joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.